

Fundamental Rights (I)

(मौलिक अधिकार)

Join SelectionWay GS Channel

Join SelectionWay GS Channel

Shubham Gupta Sir

मौलिक अधिकार

8) सशस्त्र बल और मौलिक अधिकार

7) प्रमुख मौलिक अधिकार

6) अनुच्छेद 13



1) सामान्य परिचय

2) मौलिक अधिकार की परिभाषा

3) मौलिक अधिकारों का उद्भव

4) मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ

सामान्य परिचय



भाग 03



अनुच्छेद 12 से 35



अमेरिका का 'Bill of Rights'



भारत का मैगनाकार्टा



अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त वैध दावे, शक्तियाँ तथा स्वतंत्रता



उद्देश्य – स्वतंत्रता, सम्मान व सर्वांगीण विकास



नैतिक अधिकार



कानूनी अधिकार



प्राकृतिक अधिकार



मानव अधिकार



मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार

➤ **मौलिक अधिकार** → वे विशिष्ट कानूनी अधिकार हैं जिन्हें देश के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया है और जिन्हें सर्वोच्च कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है।

- भारतीय संविधान के भाग-III में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन
- व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु अत्यंत आवश्यक
- सामान्य कानूनी अधिकारों की तुलना में इन्हें बदलना बहुत मुश्किल है।
- न्यायालय द्वारा संरक्षित तथा प्रवर्तनीय → उल्लंघन पर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है।
- ये राज्य की निरंकुशता के विरुद्ध नागरिकों को दी गई गारंटी हैं।

अधिकार

अनुच्छेद

➤ समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

- 14) विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण (अनुच्छेद 14)।
- 15) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)।
- 16) लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (अनुच्छेद 16)।
- 17) अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध (अनुच्छेद 17)।
- 18) सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाए सभी उपाधियों पर रोक (अनुच्छेद 18)।

▶ स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

- 19) छह अधिकार → वाक् एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संगठन बनाना, संचरण, निवास तथा व्यवसाय की स्वतंत्रता।
- 20) अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
- 21) प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण.
21A → प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार
- 22) कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

▶ शोषण के विरुद्ध अधिकार (23-24)

- 23) मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध
- 24) कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध

संपत्ति का अधिकार – हटा दिया गया (Most Important)

- मूल रूप से 7वाँ अधिकार संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) था।
- इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया।
- अब यह भाग-12 के अनुच्छेद 300क के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार है।
- इसी कारण अब मौलिक अधिकार 6 (छह) रह गए हैं।

▶ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

- 25) अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
- 26) धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
- 27) किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करें के संदाय के बारे में स्वतंत्रता
- 28) कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में

▶ संस्कृति और शिक्षा (अनुच्छेद 29-30)

- 29) अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा
- 30) शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

▶ सांविधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

- मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार।
- 5 Writ → बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा
- डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को "संविधान का हृदय और आत्मा" कहा।

मौलिक अधिकारों का उद्भव

Year	Event	Description
1215	मैग्राकार्टा	इंग्लैण्ड के राजा जॉन (King John) ने जारी किया
1789	फ्रांस का घोषणापत्र	मानव एवं नागरिक के अधिकारों की घोषणा
1791	अमेरिका : Bill of Rights	1789 में प्रस्तावित → विश्व का प्रथम संविधान जिसने नागरिकों को लिखित मौलिक
1935	भारत शासन अधिनियम	इसमें मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए।
1945	तेज बहादुर सप्रू समिति	सिफारिश पर अधिकारों को दो भागों में बाँटा गया

सप्रू समिति (1945) → अधिकारों को दो वर्गों में विभाजित किया

- न्यायालय में वाद-योग्य अधिकार → मौलिक अधिकार (भाग-3)
- न्यायालय में वाद-योग्य नहीं → राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (भाग-4)

मौलिक अधिकारों की विशेषताएं**1. सबके लिए समान नहीं :**

- कुछ अधिकार केवल नागरिकों को
- कुछ सभी व्यक्तियों को (नागरिक, विदेशी तथा कंपनी)

2. असीमित नहीं, परंतु वाद-योग्य (Justiciable) :

- राज्य इन पर 'युक्तियुक्त प्रतिबंध' लगा सकता है;
- प्रतिबंध उचित है या नहीं — इसका निर्णय न्यायालय करता है।

3. मुख्यतः राज्य के विरुद्ध :

- ये अधिकार सरकार के एकपक्षीय निर्णयों के विरुद्ध हैं;
- कुछ अधिकार (जैसे अनु. 17, 23) निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं।

4. कुछ नकारात्मक, कुछ सकारात्मक :

- कुछ राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं (नकारात्मक),
- कुछ व्यक्तियों को विशेष सुविधा देते हैं (सकारात्मक)।

5. न्यायोचित

- उच्चतम न्यायालय द्वारा संरक्षित : अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है

6. कुछ पर संवैधानिक सीमाएँ : अनुच्छेद 31क, 31ख तथा 31ग इनके क्रियान्वयन को सीमित करते हैं।**7. स्थायी नहीं :** संसद संविधान संशोधन द्वारा इनमें कटौती या परिवर्तन कर सकती है — परंतु 'मूल ढाँचे' को प्रभावित किए बिना।**8. आपातकाल में निलंबन :**

- राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य अधिकार निलंबित हो सकते हैं।
- अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल युद्ध/बाह्य आक्रमण पर स्वतः निलंबित होते हैं — सशस्त्र विद्रोह (आंतरिक आपातकाल) पर नहीं।

9. सशस्त्र बलों पर प्रतिबंध : अनुच्छेद 33 के तहत संसद सेना, अर्द्ध-सैनिक, पुलिस, गुप्तचर सेवाओं के लिए इन अधिकारों को सीमित कर सकती है।

10. सैन्य शासन वाले क्षेत्रों में रोक : अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ (सैन्य शासन) लागू क्षेत्र में इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है

11. अधिकांश स्वतः-प्रवर्तित :

- अधिकांश अधिकार स्वतः लागू हैं;
- कुछ को लागू करने के लिए अनुच्छेद 35 के अंतर्गत केवल संसद कानून बनाती है, विधानमंडल नहीं।

केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार	नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त अधिकार (शत्रु देश के अलावा)
- केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)। - लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (अनुच्छेद 16)। - विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19)। - अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29)। - अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार (अनुच्छेद 30)।	- विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण (अनुच्छेद 14) - अपराधों के लिये दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20)। - जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)। - प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21 क)। - कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण (अनुच्छेद 22)। - बलात् श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध (अनुच्छेद 23)। - कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध (अनुच्छेद 24)। - धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25)। - धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26)। - किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट (अनुच्छेद 27)। - कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28)।